

13.08.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थ उपस्थित नहीं। अपीलार्थ
के बार-बार अक्वाज लगवाई गई लेकिन अपीलार्थ
या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील
अपीलार्थ अदम दायरी अदम फौजरी में खारिज की जाती
है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियम की
प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली
फैसल मुकाम होकर बार तलमील राखिल रहता है।

जिला कलक्टर
करौली